



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274218
CG-DL-E-07072026-274218

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3516]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948

No. 3516]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3678(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

क्र.सं.	नई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
53	216	काकीनाडा, मछलीपट्टनम को जोड़ने वाले काथीपुडी के निकट एनएच-16 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर आंध्र प्रदेश राज्य में पोथिरेड्डीपालेम गांव में माचावरम गांव के पास अपने जंक्शन से शुरू होने वाले स्पर सहित ओंगोल के निकट एनएच-16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच- 14012/8/2025-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची, भारत के राजपत्र में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं.का.आ. 2652(अ), दिनांक, 26 मई, 2026 द्वारा किया गया था

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2026

S.O. 3678(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 53 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
53	216	The highway starting from its junction with NH-16 near Kathipudi connecting Kakinada, Machilipatnam and terminating at its junction with NH-16 near Ongole including spur starting from its junction near Machavaram village and terminating at Pothireddipalem village in the State of Andhra Pradesh.

[F. No. NH-14012/8/2025-P&M]
SHAIKH AMINKHAN, Director

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 2652(E), dated 26th May, 2026.